# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| प्रार्थना पत्र संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 17/18/2019 | 21–05–2019 | 04–07–2019 |

1– सुखदेव पुत्र बेयन्तसिंह जाति ब्राहमण सिक्ख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

–प्रार्थी

**बनाम**

1– करतार सिंह पुत्र मंगतुराम जाति जाट निवासी ग्राम रानिला तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा।

–असल अप्रार्थी

2– भूपेन्द्र सिंह पुत्र बेयन्त सिंह

3– महेन्द्र सिंह उर्फ बन्टी पुत्र बेयन्त सिंह

4– मंजीत कौर पुत्री बेयन्त सिंह जाति ब्राहमण सिक्ख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र मुन्तकिल**

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील प्रार्थी

02. श्री अभयसिंह यादव –वकील असल अप्रार्थी

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

**:: निर्णय ::**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी रामगए के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी करतार सिंह बनाम बेयन्त सिंह को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बअनुवानी करतार सिंह बनाम बेयन्त सिंह धारा 183 आरटीएक्ट विचाराधीन है। प्रार्थी के पिता बेयन्त सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण वारिस काबिज जायदाद में विचाराधीन प्रकरण में वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 12.03.2019 को प्रा0पत्र पेश किया। जिस पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया तथा आगामी पेशी 26.03.2019 नियत की गई। शीघ्र सुनवाई के प्रा0पत्र पर तामील कुनन्दा द्वारा रिपोर्ट की गई की बेयन्त सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी बेयन्त सिंह के वारिसों को बिना रिकार्ड पर लिये शीघ्र सुनवाई का प्रा0पत्र स्वीकार कर लिया, जबकि बेयन्त सिंह के वारिसों की तामील नही –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

करवाई गई। बिना वारिसों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख नियत कर वादी के पक्ष में निर्णय करने की जूस्तजु में है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐलानिया तौर पर धमकी दी गई है कि मुकदमें का फैसला मेरे पक्ष में होगा। विवादित आराजी से तुम्हें बेदखल कर कब्जा लेकर छोडूंगा। पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा भी खुले न्यायालय में इस बात का इजहार कर चुके है कि विवादित आराजी में बेयन्त सिंह व उसके वारिसो का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को यह भय व्याप्त है कि पीठासीन अधिकारी को वादी निस्पक्ष न्याय करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वादी का पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आना जाना निरंतर बना रहता है। वादी धन–बल व जन–बल का प्रयोग कर विधि विरूद्ध तरीके से विचाराधीन प्रकरण को अपने पक्ष में करवाने के लिये तत्पर है। पीठासीन अधिकारी भी वादी के कहें अनुसार मुकदमें में कार्यवाही करते है तथा उनके कहें अनुसार ही तारीख दी जाती है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निस्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बउनवान बअनुवानी करतार सिंह बनाम बेयन्त सिंह संख्या 3/26/18 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को डराया धमकाया नहीं जा रहा है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन व उभय पक्षकारान् के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि अप्रार्थी बेयन्त सिंह का संशोधित शीर्षक पेश होने के उपरांत वारिसान को जर्ये तलबी तलब किया गया। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई कर उभय–पक्षकारान् की उपस्थिति में तारीख नियत की गई है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये सभी आरोप मनघडंत व झूठे है। बेबुनियाद है। प्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति से उक्त प्रकरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रा0पत्र के साथ स्वःहस्ताक्षरित शपथ–पत्र पेश किया हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 9 में जो तथ्य अंकित किये गये है, वो सही होना बताया है। विचाराधीन प्रकरण की संलग्न आदेशिका दिनांक 14.05.2019 के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त प्रकरण उनवान करतार सिंह बनाम बेयन्त सिंह संख्या 3/26/18 के नाम से है। आदेशिका में प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 प्रार्थी श्री करतार सिंह की ओर से पेश किया गया है। जबकि आदेश 07 नियम 11 का प्रा0पत्र अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया जाता है। उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवान करतार सिंह बनाम बेयन्त सिंह संख्या 3/26/18 को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित समझते है।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में विचाराधीन प्रकरण उनवान करतार सिंह बनाम बेयन्त सिंह संख्या 3/26/18 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को भिजवाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् करें।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

**निर्णय आज दिनांक 04–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

04/07/19

**अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)**
**अलवर (राजस्थान)**